न्यायालय, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम, बलिया

जी0आर0— 571/2013

30.01.2023 अभियुक्त सनोज कुमार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर नूतन वकालतनामा के साथ जमानत का आवेदन दाखिल करते हैं जिसकी प्रति अभियोजन के अधिवक्ता को भी दी गई है। अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

बचाव पक्ष द्वारा निवेदन किया गया कि ये अभियुक्त इस वाद में जमानत पर थे किन्तु दिनांकः—02.07.2022 को पैरवी के अभाव में इनका बंध पत्र खंडित हो गया। उनका यह भी निवेदन है कि अभियुक्तों के द्वारा जमानत का जानबूझकर दुरूपयोग नहीं किया गया है बल्कि पैरवीकार की गलती से बंधपत्र खंडित हो गया। जानकारी मिलते ही अभियुक्तगण न्यायालय में स्वतः उपस्थित हो रहे हैं और भविष्य में नियत तिथि पर समुचित पैरवी करेंगें। अतः इन्हें जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।
सुना।

अभियोजन के अधिवक्ता को भी सुना व अभिलेख का अवलोकन किया। ज्ञात होता है कि ये सभी अभियुक्त इस वाद में जमानत पर थे और उनका बंधपत्र दिनांकः— 02.07.2022 को खंडित किया गया था। ये सभी न्यायालय में स्वतः आत्मसमर्पण किये हैं। अतः अभियुक्तों को रूपया 6,000/— के एक प्रतिभू समेत जमानत बंधपत्र दाखिल किये जाने पर मुक्त होने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह निर्देश दिया जाता है कि वाद के निष्पादन तक हर तिथि को अभियुक्त सदेह न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। साथ ही यह निर्देश दिया जाता है कि वाद के निष्पादन तक हर तिथि को अभियुक्त सदेह न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। वाद दिनांकः—19.04.2023 वास्ते साक्ष्य।

लेखापित

न्या0 दण्डा0, प्रथम

30.01.2023 (पश्चात्) उपरोक्त आदेश के आलोक में अभियुक्तों की ओर से वांछित प्रतिभू समेत लेखापित जमानत बंधपत्र दाखिल किये गए जिन्हें जाँचोपरान्त सही पाकर स्वीकृत किया जाता है व अभियुक्तों को अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

न्या0 दण्डा0, प्रथम